



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928

Regulatory Affairs Unit
15th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14-Ashok Marg, Lucknow 226001.
Phone: (0522) 2286519
Email: arrtariffuppel@gmail.com
Fax : (0522) 2287860

रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई
15वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
दूरभाष : (0522) 2286519
Email: arrtariffuppel@gmail.com
फैक्स : (0522) 2287860

पत्र संख्या : 860 / आर०ए०यू० / पब्लिक नोटिस

दिनांक : 27 मई, 2023

ई-मेल

प्रबंध निदेशक
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि० / केस्को
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शेड्यूल, टैरिफ आदेश दिनांक 24.05.2023 को डिस्कॉम की वेब-साइट में अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 24.05.2023 (Up Loaded on 25.05.2023 at UPERC website) में दिये गये निर्देशानुसार सार्वजनिक सूचना निम्न समाचार पत्रों में दिनांक 28.05.2023 को प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा चुका है, साथ ही अनुमोदित रेट शेड्यूल एवं टैरिफ आदेश को वितरण निगम की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाना है।

क्र०सं०	नाम	संस्करण
1	हिन्दुस्तान (हिन्दी)	लखनऊ, कानपुर, वाराणसी।
2	अमर उजाला (हिन्दी)	लखनऊ, झांसी, आगरा, मुरादाबाद।
3	दैनिक जागरण (हिन्दी)	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर।
4	टाइम्स ऑफ इन्डिया (अंग्रेजी)	लखनऊ।
5	हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)	लखनऊ, दिल्ली (NCR edition)।
6	इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)	दिल्ली (NCR edition)।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मा० आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शेड्यूल एवं टैरिफ आदेश को डिस्कॉम की वेब-साइट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी निर्देशित करने की कृपा करें।

14
27/5/23
(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार की वितरण अनुज्ञापिधारियों यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी द्वारा वर्ष 2021-22 का टू-अप, वर्ष 2022-23 का ए०पी०आर० एवं वर्ष 2023-24 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव मा० आयोग के समक्ष दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत किया गया था। मा० आयोग द्वारा उक्त याचिकायें आदेश दिनांक 28.02.2023 द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी।

मा० आयोग ने उक्त याचिकाओं पर आदेश पारित कर वर्ष 2023-24 हेतु रेट शिड्यूल अनुमोदित कर दिया है। मा० आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित रेट शिड्यूल निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

उपभोक्ता श्रेणी		अनुमोदित दर वि०वा० (2023-24)		
एल०एम०वी०-1	घरेलू बत्ती, पंखा			
		सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह	-	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 3.50 प्रति यूनिट	रु० 3.00 प्रति यूनिट
(2)	अन्य उपभोक्ता			
	(i) अनमीटर्ड		-	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 935 प्रति कि०वा० प्रति माह	रु० 435 प्रति कि०वा० प्रति माह	रु० 500 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(ii) मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 90 प्रति कि०वा० प्रति माह	-	रु० 90 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज:			
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 3.15 प्रति यूनिट	रु० 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 2.65 प्रति यूनिट	रु० 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 1.50 प्रति यूनिट	रु० 5.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 1.00 प्रति यूनिट	रु० 5.50 प्रति यूनिट
ख-	सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह		रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 7.00 प्रति यूनिट		रु० 7.00 प्रति यूनिट
ग-	अन्य मीटर सहित संयोजन			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह		रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 3.50 प्रति यूनिट	रु० 3.00 प्रति यूनिट

(2)	अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)			
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 1.00 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 1.00 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 0.50 प्रति यूनिट	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रु0 6.50 प्रति यूनिट	—	रु0 6.50 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा			
	सब्सिडी रहित टैरिफ		क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह	—	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 1.00 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
ख-	अन्य उपभोक्ता			
	फिक्स्ड चार्ज			
	4 कि0वा0 तक			रु0 330 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	4 कि0वा0 से अधिक			रु0 450 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	4 कि0वा0 तक			
	300 यूनिट/माह तक			रु0 7.50 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक			रु0 8.40 प्रति यूनिट
	4 कि0वा0 से अधिक			
	1000 यूनिट/माह तक			रु0 7.50 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट/माह से अधिक			रु0 8.75 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज			रु0 600 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अप्रैल से सितम्बर) तथा रु0 475 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अक्टूबर से मार्च)
एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकाश			
(क)	मीटर रहित संयोजन			
	ग्राम पंचायत		रु0 2100 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह	
	नगर पालिका/नगर पंचायत		रु0 3200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह	
	नगर निगम		रु0 4200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह	

(ख)	मीटर सहित संयोजन			
	ग्राम पंचायत		रु० 200 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	नगर पालिका / नगर पंचायत		रु० 250 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	नगर निगम		रु० 250 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज			
	ग्राम पंचायत		रु० 7.50 प्रति यूनिट	
	नगर पालिका / नगर पंचायत		रु० 8.00 प्रति यूनिट	
	नगर निगम		रु० 8.50 प्रति यूनिट	
एल०एम०वी०-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ			
(क)	सार्वजनिक संस्थाएँ			
	फिक्स्ड चार्ज		रु० 300 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज		रु० 8.25 प्रति यूनिट	
(ख)	निजी संस्थाएँ			
	फिक्स्ड चार्ज		रु० 350 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज		रु० 9.00 प्रति यूनिट	
एल०एम०वी०-5	निजी नलकूप			
		सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
(i)	मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 770 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 600 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 170 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
(ii)	मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 670 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 600 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 4.50 प्रति यूनिट	रु० 2.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु० 760 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 600 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 160 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
(iii)	इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प			
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 670 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 600 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 4.85 प्रति यूनिट	रु० 1.65 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु० 740 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 600 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	रु० 140 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
ख-	शहरी आपूर्ति			
(i)	मीटर सहित संयोजन		क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 130 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	—	रु० 130 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.50 प्रति यूनिट	रु० 0.50 प्रति यूनिट	रु० 6.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु० 215 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	—	रु० 215 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह

	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा में स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि ₹0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।	
एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	₹0 290 प्रति कि0वा0प्रति माह
	20 कि0वा0 से अधिक	₹0 290 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	₹0 7.30 प्रति यूनिट
	20 कि0वा0 से अधिक	₹0 7.30 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एल0एम0वी0-7	जलकल	
क-	शहरी आपूर्ति	
(i)	मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 375 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 8.50 प्रति यूनिट
(ii)	मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 3300 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	-
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।	
एल0एम0वी0-8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	इस श्रेणी का एल0एम0वी0-7 में विलय कर दिया गया है। इन सभी उपभोक्ताओं हेतु एल0एम0वी0-7 दर सूची लागू होगी।	
एल0एम0वी0-9	अस्थायी संयोजन	
क-	मीटर रहित संयोजन	
	क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं ₹0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	₹0 4750 प्रति दिन
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों/त्योहारों में अस्थायी दुकान (2 कि.वा. भार तक)	₹0 560 प्रति दिन प्रति दुकान
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी)	₹0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह

	तक)	
ख-	मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय उपभोक्ता हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	रु0 450 प्रति कि0वा0 / सप्ताह
एल0एम0वी0-11	इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग	
1.	घरेलू उपभोक्ता	
	एल0एम0वी0-1 से आच्छादित सभी मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बशर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
2.	बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1 बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. - 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 5.90 प्रति यूनिट
3.	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
4.	अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0-2, एल0एम0वी0-4, एल0एम0वी0-6, एल0एम0वी0-7, एल0एम0वी0-8 (मीटर्ड), एल0एम0 वी0-9(मीटर्ड), एच0वी0-1, (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0-2, एच0वी0-3 और एच0वी0-4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बशर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
एच0वी0-1	उद्योग रहित बल्क लोड	
(क)	वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 430 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.32 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 400 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 8.12 प्रति के.वी.ए.एच

(ख)	सार्वजनिक संस्थान हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 380 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 360 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 7.50 प्रति के.वी.ए.एच
एच0वी0-2	बड़े एवं भारी उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति (बेस रेट एवं टी0ओ0डी0)	
	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
1.	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
2.	डिमाण्ड चार्ज	रु0 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.80 प्रति के.वी.ए.एच.
	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
3.	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.40 प्रति के.वी.ए.एच.
	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
4.	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख-	ग्रामीण आपूर्ति	
	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमत्त होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमत्त। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एच0वी0-3	रेलवे ट्रेक्शन एवं मेट्रो रेल	
(क)	रेलवे ट्रेक्शन	
	डिमान्ड चार्ज	रु0 400 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु0 950 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	मेट्रो रेल	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.30 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु0 900 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

एच0वी0-4	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमैन्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 350 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 340 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	
		रू0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त दरें एवं चार्जेज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से उ0प्र0 सरकार की सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में स्वतः लागू हो जाएगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें एवं चार्जेज समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.puvvnl.up.nic.in, www.mvvnl.in, www.dvvnl.org, www.pvvnl.org, www.kesco.co.in) तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को

“राष्ट्रहित में बिजली बचायें”